प्रेषक,

अमित प्रणव,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ०प्र०, लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-4 **लखनऊ :: दिनांक 22-08-2024**

विषय: पुनरीक्षित प्रोजेक्ट फॉर कन्सट्रक्शन ऑफ टू लेन ब्रिज ओवर लोअर गंगा कैनाल एण्ड समानांतर निचली गंगा नहर एट रामघाट इन डिस्ट्रिक्ट बुलन्दशहर की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख अभियन्ता (परियोजना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ के पत्र संख्या-718/500/पी०सी०बी०, दिनांक 04.06.2024 के पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के प्रस्ताव एवं शासनादेश संख्या-113/2022/351/22-27-सिं०-4-91(डब्ल्यू)परि०/2019, दिनांक 30.03.2022 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि " पुनरीक्षित प्रोजेक्ट फॉर कन्सट्रक्शन ऑफ टू लेन ब्रिज ओवर लोअर गंगा कैनाल एण्ड समानांतर निचली गंगा नहर एट रामघाट इन डिस्ट्रिक्ट बुलन्दशहर " की पुनरीक्षित लागत रू० 1186.74 लाख की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं :-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्ध

1. प्रश्नगत परियोजना के कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाएगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जाएगा।
2. प्रायोजना पर मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किए जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग का होगा।
3. प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण करा लिया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।
4. परियोजना हेतु स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों में निहित प्राविधानों का अनुपालन करते हुए समयबद्ध रूप से सुनिश्चित किया जाएगा।
5. स्वीकृत धनराशि का उपयोग स्वीकृत परियोजना पर ही किया जाएगा, अन्यथा की स्थिति में किसी प्रकार की अनियमितता के लिए इसका समस्त उत्तयरदायित्व सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग का होगा।
6. स्वीकृत धनराशि कोषागार से एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जाएगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर /डिपाजिट में नहीं रखी जाएगी।
7. परियोजना पर नियमानुसार समस्त वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरण क्लीयरनेस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाएगा।
8. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
9. प्रशासकीय विभाग द्वारा सेन्टेज चार्जेज (प्रतिशत प्रभार),निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से सम्बन्धित वित्तीय प्रबन्धन के सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75 दिनांक 17.05.2023 तथा शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75 दिनांक 19.05.2023 में निहित दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

10. परियोजनान्तर्गत अधिष्ठान व्यय/सेन्टेज की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष जमा की जायेगी। अधिष्ठान व्यय वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75, दिनांक 25 जनवरी, 2011 के साथ पठित शासनादेश संख्या-ए-2-1606/दस-2014-17(4)/75, दिनांक 11 नवम्बर, 2014 में निहित दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी ।
11. परियोजना के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों पर 1 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जाएगा ।
12. प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्थाओं को जो धनराशि अवमुक्त की जायेगी वह कार्य की आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिए । विभागाध्यक्ष कार्यालय में तैनात वित्त नियंत्रक का यह उत्तरदायित्व होगा कि धनराशि का कोषागार से आहरण आवश्यकता के अनुसार ही कराया जायें। उक्त परियोजना हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय वित्त विभाग (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2024/ बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 एवं यथा संशोधित शासनादेश दिनांक 19 जून ,2024 में एवं वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों तथा समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा ।
13. परियोजना के अन्तर्गत सम्मिलित कार्यों की विशिष्टियॉ, मानक/गुणवत्ता का दायित्व सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, प्रमुख अभियन्ता एवं अन्य क्षेत्रीय अभियन्ताओं का होगा। उनके द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत गुणवत्ता के साथ पूर्ण कर लिए जाएं। परियोजना हेतु आगामी मांग के समय पूर्व में अवमुक्त की गयी धनराशि से कराये गये कार्यों का मुख्य अभियन्ता द्वारा स्थलीय निरीक्षण कर मांग पत्र के साथ निरीक्षण आख्या/कार्यों के फोटोग्राफ तथा मांग से पूर्व परियोजना हेतु अवमुक्त की गयी धनराशि राजकोष से आहरित किये जाने का प्रमाण कोषवाणी सहित सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या-3504/20-27-सिं0-4-21(डब्ल्यू)परि0/2019, दिनांक 10.12.2020 में दिये निर्देशानुसार प्रस्तुत किये जायेंगे।
14. किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता का समस्त उत्तरदायित्व विभाग के संबंधित अधिकारियो का होगा ।
15. कार्य पूर्ण होने पर कार्य के सम्परीक्षित लेखे तथा प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त की गयी धनराशि के व्यय का विवरण बजट मैनुअल में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र बी0एम0-8 पर वित्त विभाग एवं शासन को प्रतिमाह निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

2- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-8-96-X-2024-25, दिनांक 07.08.2024 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
अमित प्रणव
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन ।

http://shasanadesh.up.gov.in

-3-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-502 (1)/ 2024/415P/24-27-सिं0-4-001-91-W-Pari-2019-FCN-1398373, तद्दिनांक

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम/द्वितीय), उ०प्र०, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
3- प्रमुख अभियन्ता (परि० एवं नियो०), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
4- प्रमुख अभियन्ता (परियोजना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र, लखनऊ।
5- मुख्य अभियन्ता (बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
6- मुख्य अभियन्ता (अग्रिम नियोजन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
7- मुख्य अभियन्ता स्तर-1 (मध्य), लखनऊ / मुख्य अभियन्ता (रामगंगा), कानपुर, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०।
8- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, अलीगढ, उ०प्र०।
9- वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
10- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-8/नियोजन अनुभाग-3/सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-9 उ०प्र० शासन, लखनऊ।
11- नोडल अधिकारी/अनुसचिव (लेखा), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
12- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
वी०एन० तिवारी
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।